अंतिम डिक्री बमुकदमे इस्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, सपठित सिविल)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-4")

अपर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं तीन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सुजानगढ़ सीकरपुर
व इसमाल की सुनवाई करने (अर्थ 1-1-1)

सुरमीत सिंह आदि बनाम सेठ बीज राजस्थान सीमा सहकारिता सीकरपुर

वाद अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 81/2020

निर्णय दिनांक :- 23.05.2022

यह मुकदमा आज सामने इनीशियल कर्ता सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सीकरपुर व हाजरी वादी बंधक पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादग्रस्त खसरा अन्तर्गत वाद 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारी-भोति सहित होने से मंजूर किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एकड़, 1 एकड़ बन्धा 2 एकड़, भू.अ.नि. क्षेत्र कटू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 79 के खाता संख्या 81,100 में रहन एस.बी.बी.जे. शाखा सीकरपुर के स्थान पर रहन एस.बी.आई. शाखा सीकरपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाते के लेन देन व रहन बरकरार रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 23.05.2022 को यह खुली डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरभि चन्द) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं तीन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व-सुनिर्णय सेवाएं)
सी. डमरू /

मुकदमे	बाबत	पैसा	मुकदमी	बाबत	पैसा
खाता अदालतवाद	(1)	00	खाता वादग्रस्त	00	00
खाता वादग्रस्त	(0)	00	खाता अदालत	00	—
खाता दहूरी	(0)	00	मेहनताना वकील पर	00	—
योग	(1)	00	योग	00	00

(सुरभि चन्द) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं तीन उपखण्ड अधिकारी
सी. डमरू /

क्रमांक: रीडर / 2022 / 281 दिनांक: 23.05.2022

प्रतिलिपि: सहायक सीकरपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अतिरिक्त सहायक न्यायालय में निकटतम सुनिश्चित करें।

(सुरभि चन्द) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं तीन उपखण्ड अधिकारी
सी. डमरू /